न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या 25/2026

श्री लोकेश मीणा निवासी 45, मीणों का मोहल्ला, स्कूल के पास, ग्राम खेडली बालाजी, ग्राम पंचायत बिलोता तहसील अलीगढ जिला टोंक ——अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार अलीगढ ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक **29.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आर्नलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 26.02.2026 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः—

1: खसरा 243 (चारागाह) पर हरे पेड़ काटने वाले सरपंच सुरेश मीणा को पाबंद किए जाने वाले 'मूल पाबंद—नाम' की सरपंच के हस्ताक्षर युक्त प्रति।

2: अपराध सिद्ध होने के बावजूद सरपंच पर FIR दर्ज न करने और जुर्माना न वसूलने के लिखित प्रशासनिक कारण (फाइल नोटिंग)।

3: सरकारी नियमों की वह प्रति जिसमें हरे पेड़ काटने पर बिना FIR किए मात्र 'पाबंद' करके छोडने का प्रावधान हो।

प्रशासन (तहसीलदार/पटवारी) द्वारा अपराध सिद्ध होने के बावजूद सरपंच पर FIR दर्ज न करके उसे खुला संरक्षण दिया गया है।

एक 'व्हिसलब्लोअर' होने के नाते मेरी जान को अतिक्रमणकारियों से सीधा खतरा है। PIO द्वारा 48 घंटे में सूचना न देना यह प्रमाणित करता है कि राजस्व विभाग आरोपियों से साठगांठ कर फाइलें दबा रहा है।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार अलीगढ को पत्र कमांक 414 दिनांक 09.03.2026, 598 दिनांक 25.03.2026, 721 दिनांक 09.04.2026 व 807 दिनांक 21.04.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार अलीगढ ने पत्र कमांक 283 दिनांक 28.04.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां उनके पत्र कमांक 280 दिनांक 27.04.2026 से उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार अलीगढ तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

829